संख्या-12/2016/539/सैंतीस-2-2016-20(59)/08

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(सम्बन्धित जनपद)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-26 फरवरी, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पशु सेवा केन्द्र/'द' श्रेणी पशु औषधालय (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-533/सा0-1/एक्स-120(188)/जि.यो./2015-16, दिनांक-08.10.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु सेवा केन्द्र/"द" श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0-50.00 लाख के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार नवीन/अधूरे पशु सेवा केन्द्रों/'द' श्रेणी पशु औषधालयों के निर्माणार्थ रू0-35.31 लाख (रूपये पैंतीस लाख इकतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद	संस्था का नाम	विकासखण्ड	धनराशि (लाख में)
1	कौशाम्बी	उदहिन बुजुर्ग	सिराथू	4.34
2	मुजफफरनगर	झारखेड़ी	शामली	4.34
3	आजमगढ़	हैदराबाद	हरैया	9.27
4	प्रतापगढ़	भरचक	कुण्डा	4.34
5	प्रतापगढ़	अमरगढ़	आसपुर देवसरा	4.34
6	प्रतापगढ़	अतरौरा	आसपुर देवसरा	4.34
7	प्रतापगढ़	'द' श्रेणी औषधालय दीवानगंज	मगरौरा	4.34
योग-				**35.31**

(रूपये पैतीस लाख इकतीस हजार मात्र)

1. नवीन पशु सेवा केन्द्र हैदराबाद, विकासखण्ड हरैया, जनपद आजमगढ़ के निर्माण हेतु 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू.पी.पी.सी.एल.)' कार्यदायी संस्था होगी।
2. कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य अधिकतम 06 माह की अवधि में पूर्ण कराया जायेगा। यदि निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता तो संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/निदेशक, पशुपालन विभाग का यह दायित्व होगा कि वे कारणों का उल्लेख करते हुए इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध जनपदवार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा पशु सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमोदित मानकीकृत लागत के अनुसार ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।
5. किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-''4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु सेवा केन्द्र/''द'' श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-12/2016/539(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in